अनुदान संख्या 42 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 42–DIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				1,45
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1521,51,00	1742,21,00	1687,31,81	–54,89,19
पूरक	Supplementary	220,70,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,84,69
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	10,47,00	40,19,00	35,76,56	–4,42,44
पूरक	Supplementary	29,72,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,27,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2020'' - ''आय और व्यय पर करों का संग्रहण'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (5489.19 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 22070.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 25 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2020" – "Collection of Taxes on Income and Expenditure".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5489.19 lakhs) constituted 25 percent of the supplementary grant of Rs.22070.00 lakhs obtained in March, 2008 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2020'' आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	139142.00			
पू.	S.	22070.00	158827.31	154084.60	–4742.71
पु.	R.	–2384.69			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under the following heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) ''संग्रहण प्रभार - आय कर'' -

(A) "Collection Charges – Income Tax" -

(क) ''आय कर और धन कर मामलों के लिए व्यवस्थापन आयोग'' - 663.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 12.55 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 676.45 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 101.39 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(a) "Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax cases" - the original provision of Rs.663.90 lakhs was augmented to Rs.676.45 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.12.55 lakhs. However, there was a saving of Rs.101.39 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts.

(ख) ''प्रधान मुख्य लेखा नियंत्राक के आंचलिक लेखा कार्यालय'' - 1843.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1873.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 113.98 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" - the original provision of Rs.1843.50 lakhs was augmented to Rs.1873.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.113.98 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less claims of medical reimbursement.

(खा) ''अन्य व्यय - विभागीय कैंटीन'' - 450.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 490.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 45.18 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure – Departmental Canteens" - the original provision of Rs.450.00 lakhs was augmented to Rs.490.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.00 lakhs. However, there was saving of Rs.45.18 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of some projects.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अन्वेषण'' - 1146.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 169.05 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1315.65 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, क्रेताओं से बिलों की कम अदायगी किए जाने और पुरस्कार मामलों का अंतरण किए जाने के कारण 96.69 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''संग्रहण प्रभार - आयकर - आयुक्त और उनके कार्यालय'' - 139033.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 19622.19 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 158655.49 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं पुरस्कार के कम मामलों के होने के कारण 5154.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''अन्य व्यय - अग्रिम विनिर्णयों के लिए प्राधिकार'' - 152.85 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 175.85 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 11.40 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (442.44 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 2972.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) "Direction and Administration – Investigation" - the original provision of Rs.1146.60 lakhs was augmented to Rs.1315.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.169.05 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.96.69 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, less payment of bills from vendors and transfer of reward cases.

(B) "Collection Charges – Income Tax - Commissioners and their offices" - the original provision of Rs.139033.30 lakhs was augmented to Rs.158655.49 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19622.19 lakhs which, however, remained unutilised to extent of Rs.5154.92 lakhs - due to non-filling up of vacant post and less cases for medical reimbursement and reward cases.

(C) "Other Expenditure - Authority for Advance Rulings" - the original provision of Rs.152.85 lakhs was augmented to Rs.175.85 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.40 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.442.44 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grant of Rs.2972.00 lakhs obtained in March, 2008 and 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	100.00	3680.00	3502.86	–177.14
पू.	S.	2972.00			
पु.	R.	608.00			
मुख्य शीर्ष ''4075'' विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4075" Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	200.00	103.00	73.70	–29.30
पु.	R.	–97.00			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	747.00	9.00	..	–9.00
पु.	R.	–738.00			

(I) 747.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत तैयार निर्मित रिहायशी आवासों के क्रय संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.747.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Income Tax Employees – Acquisition of Ready built Flats" - due to non-finalisation of proposal for purchase of ready built residential accommodation.

(II) मुख्य शीर्ष ''4075'' - ''आयकर अधिनियम-1961 के अध्याय XX-ग के अधीन अचल संपत्तियों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 126.30 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आयकर अधिनियम के अध्याय XX-ग के अधीन अधिग्रहीत संपत्तियों के अनुरक्षण पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4075" - "Acquisition of immoveable properties under chapter XX-C of Income Tax Act–1961" - saving of Rs.126.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to less expenditure incurred on maintenance of properties acquired under Chapter XXC of Income Tax Act.

4. उपुर्यक्त बचतें, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (608.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 2972.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 430.86 लाख रु. था।

4. The above savings were partly (Rs.608.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2972.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "4059" - "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready built Accommodation". Actual excess, however, was Rs.430.86 lakhs.